

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

प्रवेश सूचना वर्ष: 2010–11

एतद्वारा विश्वविद्यालय परिसर के प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा एवं प्रसार विभाग, में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित द्विवर्षीय मास्टर ऑफ एक्सटेंशन एण्ड रुरल डेवलेपमेण्ट पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी संकाय से स्नातक स्तर पर 45 प्रतिशत अंको सहित उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य है। प्रवेश स्नातक स्तर पर प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नियमों का पालन करते हुये तैयार की गई योग्यता सूची द्वारा किया जायेगा।

आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kanpuruniversity.org से डाउनलोड कर रु0 250/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो 'वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर' के नाम देय हो, संलग्न कर अंतिम तिथि **31.08.2010** तक प्रौढ़ सतत् शिक्षा एवं प्रसार विभाग के कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं।

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

Department of A.C.E.E.
MASTER OF EXTENSION AND RURAL
DEVELOPMENT

Career Prospects

Master in Extension and Rural Development students after passing out from the institute may get appropriate employment opportunity in government's developmental agencies and Non-Government Organizations. They can also be hired on contractual basis to manage developmental schemes and programmes. However corporate run developmental agencies are favoured destinations for a section of rural managers. Highly talented people can find lucrative job options in UN and its specialized agencies or programmes run by them. International NGOs are also a preferred destination for many rural managers. Rural Managers also can run their own NGO and thereby directly be associated with rural folk.

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

मास्टर ऑफ एक्सटेंशन एण्ड रुरल डेवलेपमेण्ट

आवेदन पत्र

फार्म नं.

डिमाण्ड ड्राफ्ट का विवरण

विद्यार्थी का
अभिप्रामाणित फोटो
लगाना अनिवार्य
है।

हस्ताक्षर जांचकर्ता

1. प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम :
2. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में) :
3. अभ्यर्थी का नाम (अंग्रजी में) :
4. पिता का नाम :
5. माता का नाम :
6. जन्म तिथि :
7. पत्र व्यवहार का पता :

फोन / मोबाइल नम्बर :

8. (i) श्रेणी :
(सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग / अनुजाति / अनुजनजाति)
- (ii) उप-श्रेणी :
(विकलांग / दृष्टिहीन)
9. क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है ?
10. शैक्षिक योग्यता (अंकतालिका एवं प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है) :

क्रमांक	उत्तीर्ण कक्षा	बोर्ड / वि.वि. का नाम	अनुक्रमांक	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक / प्रतिशत	श्रेणी	प्राप्तांक / पूर्णांक
1.	हाईस्कूल						
2.	इण्टर						
3.	स्नातक						
4.	परास्नातक						
5.	अन्य						

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र को मैंने भरा है प्रमाण—पत्र उपाधियाँ तथा अंकपत्रों की प्रतियाँ शुद्ध रूप से संलग्न की गयी हैं । सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियमों को भली प्रकार पढ़ लिया है जिनका मैं पालन करूँगा/करूँगी । कोई सूचना गलत सिद्ध होने पर मेरा प्रवेश रद्द कर दिया जाय तथा मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाय । प्रवेश निरस्त होने पर किसी प्रकार की शुल्क वापसी का/की अधिकारी नहीं रहूँगा/रहूँगी । मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अनुचित साधन के आरोप में दण्डित नहीं हुआ/हुई हूँ और न ही किसी शिक्षा संस्था से निष्कासित हुआ / हुई हूँ ।

दिनांक :

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के हस्ताक्षर

निर्देश

1. आवेदन—पत्र कुलसचिव (प्रवेश परीक्षा) को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्रेषित किया जाय ।
2. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के दावे के सम्बन्ध में जाति प्रमाण—पत्र अवश्य संलग्न करें अन्यथा आरक्षण का लाभ देय न होगा ।
3. आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है उसका नाम अवश्य लिखा जाय ।
4. आवेदन पत्र समस्त संलग्नों सहित विश्वविद्यालय में निर्धारित तिथि तक अवश्य पहुंच जाय ।
5. उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश अर्हता में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जायेगा ।